

26/02/2024

आज श्रीमान् ए.सी.एम. / एस.डी.एम.  
साहब अनिल के कार्यालय में।  
पेशी इल्लतबा की जाकर पत्रावली  
तारीख 01/05/24 को पेश हो।

01/5/24

आज श्रीमान् ए.सी.एम. / एस.डी.एम.  
साहब अनिल के कार्यालय में।  
पेशी इल्लतबा की जाकर पत्रावली  
तारीख 28/6/24 को पेश हो।

28/06/2024

आज श्रीमान् ए.सी.एम. / एस.डी.एम.  
साहब अनिल के कार्यालय में।  
पेशी इल्लतबा की जाकर पत्रावली  
तारीख 29/07/24 को पेश हो।

29/07/2024

आज श्रीमान् ए.सी.एम. / एस.डी.एम.  
साहब अनिल के कार्यालय में।  
पेशी इल्लतबा की जाकर पत्रावली  
तारीख 04/10/24 को पेश हो।

04/10/2024

पत्रावली पेश हुई वकील जर्जी उषा वकील जर्जी उषा  
अप्रार्थीगण की नववी कलान बागत अंतित अचरत  
दिये जाकर मिदल किनांड 22/10/24 को पेश हो।

22/10/2024

पत्रावली पेश हुई वकील जर्जी उषा वकील जर्जी उषा  
अप्रार्थीगण की नववी कलान बागत on 14/11/24 को  
अचरत अंतित कि जाकर मिदल किनांड 29/11/24 को  
पेश हो।

29/11/2024

पत्रावली पेश हुई वकील जर्जी उषा वकील जर्जी उषा ने  
अप्रार्थीगण के सारे एडी नोटिस की रसीदें पेश की। न्यायालय हाजि  
में अप्रार्थीगण को रुक-रुककर आवजे लगायी गयी, परन्तु ना  
तो अप्रार्थीगण स्वयं और ना ही उनकी तरफ से कोई वकील  
हाजिर आये, लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक्पत्नीप कार्यवाही  
अमल में लायी गयी। वकील जर्जी उषा की बहस सुनी गयी।  
वकील जर्जी उषा बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध इस्तावेजों  
के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु जम्म  
दुष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति जर्जी उषा  
के पक्ष में सिद्ध होते हैं। अतः जर्जी उषा का प्रार्थना पत्र अंतित द्वारा  
212 राज् काष्ठ अधिनियम 1955 का स्वीकार किये जाने योग्य होने  
के कारण स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में दिनांक 13-03-2023  
को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक  
बन्दकर्म किया जाता है। पत्रावली कैसल बुमार होकर 29 नवंबर  
से कम लेकर वाद तम्मील शामिल उपतर ही।

निर्णय आज दिनांक 29-11-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया  
जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।  
सहायक कलेक्टर  
(फलोदी)